प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 दिसंबर, 2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2025 की प्रतिवेदन सं.22, संघ सरकार (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक) आज संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के 28 मंत्रालयों, पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों और विधायिका रहित पांच केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में छह मंत्रालयों/विभागों, पाँच केंद्र शासित प्रदेशों और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के 24 उदाहरणात्मक मामले (लेखापरीक्षा प्रभाव के अंतर्गत तीन मामलों में वसूली सहित) शामिल हैं। प्रतिवेदन में प्रस्तुत महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ निम्नानुसार हैं:

संस्कृति मंत्रालय

- संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली ने अपनी बिजली की खपत आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया था जिससे संस्वीकृत भार को वास्तविक स्तर तक कम किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान निर्धारित बिजली प्रभारों के प्रति ₹1.97 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

विदेश मंत्रालय

- भारतीय उच्चायोग, लंदन ने पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करते समय शपथपत्र शुल्क उद्ग्रहित किया था तथा 01 अप्रैल 2021 से 04 नवंबर 2022 तक की अवधि के दौरान ₹2.35 करोड़ (₹2,33,200) का शपथ पत्र शुल्क एकत्र किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा यह उद्ग्रहण मंत्रालय के प्राधिकार और अनुमोदन के बिना किया गया था।

- यद्यपि केन्द्र सरकार को प्रदान की गई स्पीड पोस्ट सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की छुट थी फिर भी पुणे, लखलऊ, बरेली, कोलकाता तथा चैन्नई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने डाक प्राधिकारियों को ऐसी सेवाओं के लिए जुलाई 2017 से जून 2022 तक ₹2.96 करोड़ की जीएसटी का भुगतान किया था।

गृह मंत्रालय

- असम में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तीन नमूना जांच इकाइयों, जो वर्गीकृत क्षेत्र में नहीं आती थी, ने मार्च 2020 से मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान अपने कार्मिकों को ₹33.19 करोड़ के जोखिम एवं कठिनाई (आरएचए) भत्ते का अनियमित भुगतान किया था।

- गृह मंत्रालय ने मैदानगढ़ी, दिल्ली में सीआईएसएफ के लिए 263 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण अनुमोदित किया। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ₹27.56 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य को निष्पादित करने हेतु चयनित किया गया था। बाधा मुक्त साईट प्राप्त करने में विलम्ब, एनबीसीसी द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्माण-पूर्व सर्वेक्षणों तथा लागत वृद्धि को अनुमोदित करने में सीआईएसएफ की असमर्थता के कारण कार्य जनवरी 2020 से बंद हो गया तथा निर्माण अभिकरण के साथ अनुबंध समय से पहले समाप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप अब तक व्यय की गई ₹11.75 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा ₹27.56 करोड़ से ₹56.15 करोड़ तक कार्य की लागत में वृद्धि हुई।

- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने, अपने कार्मिकों की मृत्यु/अक्षमता/ चोट लगने के मामले में अनुग्रह राशि अदा करने हेतु ग्राहक संगठन को उत्तरदायी ठहराने के बावजूद, उन कर्मचारियों जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में तैनात थे, के परिजनों को स्वयं कुल ₹4.05 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीआईएसएफ ने जनवरी 2024 तक संबंधित पीएसयू से ₹2.95 करोड़ की वसूली की।

- फील्ड फायरिंग रेंज के लिए प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति के निष्कर्षों को अनदेखा करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अगस्त 2017 में दमोह (मध्य प्रदेश) में ₹16.55 करोड़ की लागत से एक साइट का अधिग्रहण किया, जिसे अभिप्रेत उपयोग में नहीं लाया जा सका। इसके अतिरिक्त आईटीबीपी ने भूमि की रखवाली करने वाली प्लाटून के वेतन और भत्ते पर ₹88.41 लाख (मार्च 2023 तक) का व्यय किया।

- प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों वाले स्थान पर तैनात आईटीबीपी अधिकारियों को बेहतर रहने योग्य अवस्था प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक भवन का निर्माण करवाया जिसमें चौबीस घंटे तथा वर्ष भर रहने योग्य तापमान बनाए रखा जा सके। यद्यपि कथित भवन का कार्य ₹14.57 करोड़ का व्यय करने के पश्चात जुलाई 2019 में पूर्ण कर लिया गया था फिर भी निर्मित भवन के डिजाइन तथा कार्यान्वयन में कमियों के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका था, जो भवन के भीतर अभिकल्पित तापमान प्राप्त न किए जाने का कारण बना। सुधार कार्य जून 2024 में प्रारंभ किया गया तथा मई 2025 तक चालू था।

- आईटीबीपी ने ₹6.93 करोड़ की लागत पर अक्तूबर 2018 में 29वीं बटालियन, जबलपुर, मध्यप्रदेश में 48 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया। तथापि, क्वार्टरों को सीवरेज उपचार संयत्र, बाह्य बिजली कनेक्शन तथा आतंरिक सड़कों जैसी अनिवार्य सेवाओं के अभाव के कारण अक्तूबर 2023 तक अधिकारियों को आंवटित नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप ₹6.93 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा अधिकारियों को मकान किराया भत्ता पर ₹1.16 करोड़ (जिसके बढ़ने की संभावना है) का परिणामी परिहार्य भुगतान हुआ।

- 55वीं बटालियन, एसएसबी, पिथौड़ागढ़ हेतु सीमा चौकी के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) द्वारा निर्णय लेने में असाधारण विलंब के परिणामस्वरूप अगस्त 2018 से कुल ₹80.91 लाख की निधि का अवरोधन हुआ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

- सरकारी अभिकरण होने के बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने गलत टैरिफ श्रेणी (एचटी-सार्वजनिक सेवाएं के बजाए एचटी-वाणिज्यिक) के अंतर्गत बिजली प्रभारों का भुगतान किया तथा इस प्रकार 2017-18 से 2021-22 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान ₹1.99 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

- अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रणालीगत समस्याओं ने योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। इसके कार्यान्वयन में दिशानिर्देशों का उल्लंघन देखा गया, जिसमें अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, गैर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्रों के साथ या बिना आय प्रमाण पत्रों के आवंटन स्वीकार करना

तथा गैर-नामांकित स्कूली छात्रों को भुगतान शामिल थे। इसके अतिरिक्त, प्री-मैट्रीक छात्रों को पोस्ट-मैट्रीक छात्रवृत्ति वितरित करना और पात्रता सीमा से अधिक भुगतान करना भी अनियमितताओं में शामिल थे।

पंचायती राज मंत्रालय

- पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 2007 से 2015 की अवधि के दौरान 28 राज्यों को कुल ₹27,638.12 करोड़ की सहायता अनुदान जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2023 तक 17 राज्यों के पास पड़ी ₹903.42 करोड़ की अव्ययित अनुदान जिसे 2015-16 से केन्द्र सरकार बजटीय सहायता से कार्यक्रम को अलग करने के 8 वर्षों के बाद भी वसूला नहीं गया था। एमओपीआर ने राज्यों के पास पड़े इन अव्ययित शेषों पर अर्जित किए जाने वाले अनुमानित ₹207.33 करोड़ के ब्याज का संज्ञान भी नहीं लिया था।

केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

- सड़क निर्माण प्रभाग (आरसीडी), अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी), विम्बर्लीगंज ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं (एमपीएलएडी) के अंतर्गत दक्षिण अंडमान के मन्नारघाट गांव में "स्पोर्टस मिनी इंडोर हाल का निर्माण" का कार्य प्रारम्भ किया था। एपीडब्ल्यूडी ने सांसद तथा जिला प्राधिकरण की सहमति के बिना कार्य के क्षेत्र तथा आवश्यकता में पर्याप्त बदलाव किए जिसके परिणामस्वरूप कार्य के समापन से पहले संस्वीकृत राशि समाप्त हो गई। निर्माण कार्य प्रांरभ होने के लगभग पांच वर्षों के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण (सितंबर 2023) था जिससे ₹62.61 लाख का व्यय निष्फल हुआ।
- कार्यालय श्रम आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृत कर्मचारियों के आश्रितों को देय मुआवजे का गलत परिकलन किया। परिणामस्वरूप पांच कर्मचारियों के आश्रितों को कुल ₹26.81 लाख का मुवावजा तथा उस पर ₹7.09 लाख (सिंतबर 2023) की सीमा तक के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

- जिला परिषद, दक्षिण अंडमान द्वारा रखरखाव अनुबंध अवधि के समाप्त होने के पश्चात शवदाहगृह के रखरखाव में विफल होने के परिणामस्वरूप यह गैर-कार्यात्मक एवं आर्थिक मरम्मत से परे हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इसके निर्माण पर किया गया ₹87.28 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़

- चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड), विशेषज्ञ समिति तथा सलाहकार समिति से युक्त शासन एवं निगरानी सरंचना के गठन और कार्यकरण से संबंधित कमियों ने पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्रित श्रम उपकर का उपयोग करने के बोर्ड के अधिदेशित कार्य पूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इसका कारण श्रमिकों और प्रतिष्ठानों की पहचान/पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में श्रमिकों में जागरूकता की कमी थी।

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली

- लोक निर्माण प्रभाग-दमन स्थानीय निकाय की ओर से निष्पादित निर्माण कार्यों पर, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में, विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹66.74 लाख के राजस्व की हानि हुई।

केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप

- लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग ने विद्युत कार्यों के लिए आवंटित वार्षिक बजटीय निधियों को पृथक बचत बैंक खाते में जमा किया (2013 से 2023) तथा अप्रयुक्त शेष को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2023-24 (01/02/2024 तक) के दौरान ₹4.08 करोड़ से ₹12.97 करोड़ के बीच की निधियां अनियमित रूप से सरकारी खाते के बाहर रखी गईं।

केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख

- अपर उपायुक्त, लेह ने 42 पारिवारिक निपटान विलेखों के मामलों एवं चार विभाजन विलेखों में स्टाम्प शुल्क कम लगाया था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹92.82 लाख की सीमा तक राजस्व की हानि हुई। ₹53.45 लाख का जुर्माना भी बकाया था।

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

- दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने लोक उद्यम (डीपीई) विभाग के दिशानिर्देशों के विचलन में अर्जित छुट्टी नकदीकरण अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को 2014-15 से 2022-23 के

दौरान ₹45.61 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

BSC/SS/IK/108-25